न्यायालय भू० अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बाली, जिला–पाली (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी : श्री अतुल प्रकाश आई.ए.एस.
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 31 / 2017 GCMS No 2017 / 00195
दायरा तिथि : 11.09.2017
फैसला तिथि : 1-10-2021

प्रार्थीगण::–

1. हंसाराम पुत्र थानारामजी
2. शान्ति पुत्री थानारामजी
3. अंशी पुत्री थानारामजी
4. कमला पुत्री थानारामजी
5. दाकु पुत्री थानारामजी
6. भागु पुत्री थानारामजी
7. दरीया पुत्री थानारामजी जातिगण मेणा
   निवासीगण सेवाडी तहसील बाली जिला पाली (राजस्थान)
8. सांकलीया पुत्र गोवा
9. सुमटी बेवा गोवा तमाम जातिगण मेणा
   निवासीगण सेवाडी तहसील बाली (राजस्थान)

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार, बाली

–:: आदेश ::– दिनांक 1-10-2021

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर इस न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 47 / 83 अनवान् थाना वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में दिनांक 25.09.1985 को पारित निर्णय अनुसार ग्राम सेवाडी के गत् खसरा नंबर 747 रकबा 4.18 बीघा के तूल्य भूमि का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। अपने प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा इसका आधार यह बताया कि न्यायालय द्वारा जारी निर्णय व डिक्री की पालना में सेवाडी के हाल खसरा नंबर 3148 रकबा 0.41 हैक्टर का ही खातेदार राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण को दर्ज किया है। जिससे न्यायालय की डिक्री अनुसार रकबा 0.41 हैक्टर की बजाय रकबा 4.18 बीघा (0.82 हैक्टर) का खातेदार दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में अप्रार्थी को नोटिस जारी किये जाने पर अप्रार्थी तहसीलदार, बाली ने जबाव प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेवाडी के खसरा नंबर 3148 रकबा 0.41 हैक्टर प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज हैं। जिसके गत् खसरा संख्या मिलान क्षैत्रफल के अनुसार 750 थे, प्रार्थीगण को गत् खसरा नंबर 747 में रकबा 4.18 बीघा का खातेदार घोषित किया था। मिलान क्षैत्रफल में गत् खसरा नंबर 747 के हाल खसरा नंबर का उल्लेख नहीं हैं। न्यायालय द्वारा निर्णित निर्णय में गत् खसरा नंबर 747 रकबा 4.18 बीघा का ही उल्लेख होने नये खसरा नंबर का उल्लेख नहीं होने एवं मिलान क्षैत्रफल से गत् खसरा नंबर 750 के हाल खसरा नंबर 3147 बनने दर्शाये है। गत् खसरा नंबर 747 के हाल खसरा नंबर 3147 बनने की पुष्टि मिलान क्षैत्रफल से प्रमाणित हैं।

प्रकरण में तहसीलदार, बाली के जबाव के पश्चात् उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस के पश्चात् हस्तगत् प्रकरण में यह जाहिर हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 151 सी.पी.सी. के माध्यम से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा राजस्व वाद संख्या 47 / 83 अनवान थाना वगैरा बनाम तहसीलदार, बाली में वादीगण को धारा 88 के तहत दिनांक 25.09.1985 को पारित निर्णय अनुसार सेवाडी के गत् खसरा नंबर 747 रकबा 4.18 बीघा के तूल्य भूमि का खातेदार न्यायालय की डिक्री का **Execution** करते हुये दर्ज किये जाने की मांग की गई। जबकि तहसीलदार, बाली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सेवाडी के गत् 747 से हाल खसरा नंबर बनने की पुष्टि मिलान क्षैत्रफल से नहीं होती है एवं निर्णय में गत् खसरा नंबर का ही उल्लेख होने से **Execution** संभव नहीं हैं। जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थी धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(श्री अतुल प्रकाश)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
भू० अभिलेख अधिकारी
बाली, जिला पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 1-10-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भू० अभिलेख अधिकारी
(एस.डी.ओ.), बाली
उपखण्ड अधिकारी
बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner